



# उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तभासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून - 248001 दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137,

वेबसाईट : [www.uau.ac.in](http://www.uau.ac.in) ईमेल : [uttarakhandayurved@gmail.com](mailto:uttarakhandayurved@gmail.com), [uauinfo4@gmail.com](mailto:uauinfo4@gmail.com),


पत्रांक : 3097 / उ0आ0वि0 / अधि0 / 2018-19

दिनांक : 02 फरवरी, 2019

## संशोधित कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- 3087 / उ0आ0वि0 / अधि0 / 2018-17 दिनांक 01 फरवरी, 2019 के क्रम में स्टाफ नर्स (आयुर्वेद उपचारिका) के पद पर चयन हेतु प्राविजनल वर्षवार मैरिट सूची निर्गत की गयी थी। उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों को दिनांक 18 फरवरी, 2019 को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है। विश्वविद्यालय स्तर पर अभिलेख सत्यापन का दिनांक 18 फरवरी, 2019 को अग्रिम आदेशों तक निरस्त किया जाता है।

उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त सूची के संबंध में अपनी कोई आपत्ति विश्वविद्यालय में दर्ज करना चाहता है तो उक्त अभ्यर्थी लिखित रूप में दिनांक 16 फरवरी, 2019 की सायं 5:00 बजे तक आपत्ति कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम दर्ज करा सकता है। दिनांक 16 फरवरी, 2019 के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों में विश्वविद्यालय स्तर पर विचार नहीं किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर पृथक से तिथि निर्धारित की जायेगी।

  
(डॉ० राजेश कुमार)  
प्रभारी कुलसचिव।